

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND

P.S.(थाना): BILASPUR

Year(वर्ष): 2023

FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0003

Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):

19/04/2023 10:55 PM

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985	18

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Wednesday

Date From(दिनांक से): 19/04/2023

Date To(दिनांक तक): 19/04/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 03:45 PM

Time To (समय तक): 07:45 PM

(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date(दिनांक): 19/04/2023

Time (समय): 10:11 PM

(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):

Entry No.(प्रविष्टि सं.): 014

Time (समय): 19/04/2023 10:31 PM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 12 Km(s) Beat No(बीट सं.):

(b) Address(पता): Chamlog, Sadar

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S(थाना का नाम):

District(State)(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Luder Singh

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 01/08/1967

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE-Leda, PS-BALH, DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-Leda, PS: BALH, DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल 91-9418049017

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात/ संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	Virender Kumar	Father:Rattan	VILLAGE-Chamlog , TEHSIL-Sadar, PS-BARMANA, DISTRICT-BILASPUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Chamlog , TEHSIL-Sadar, PS-BARMANA, DISTRICT-BILASPUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	DRUGS/NARCOTIC DRUGS	OPIUM	INVOLVED IN A CASE/CRIME	623 Opium Plants destroyed and 25 Opium Plants Seized as samples	

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
-----------------	----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

इस समय एक अदद रूढ़ा पृष्ठांकित नि० लुदर सिंह के बदस्त आ. रमनजोत के वराये करने अभियोग पंजीकृत थाना पर प्राप्त हुआ जिसका विवरण निम्न है:- सेवा में, प्रभारी थाना रा.स.एवम भ्र.रो.ब्यूरो बिलासपुर जिला बिलासपुर हि.प्र. निवेदन है कि आज दिनांक 19.04.2023 को मन निरीक्षक व हवाला रपट न. 10 रोजनामचा थाना के मय उप निरीक्षक अजीत सिंह, आ. रमनजोत, आ. देवेन्द्र कुमार जेरे चालक मु.आ. सुरेन्द्र कुमार व सवारी सरकारी गाडी न. HP72C-5824 जेरे रहनुमाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री योगेश रोल्ता के व सिलसिला गश्त व सुराग बुरारी इलाका थाना का खाना था और समय 3.45 बजे शाम सुराग बुरारी के सिलसिला में नजद गांव चमलोग मौजूद था तो मुखबर खास के द्वारा सूचना मिली कि विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रत्न लाल निवासी गांव चमलोग डा. दयौली त. सदर जिला बिलासपुर ने अपने गांव में अपनी मलिकिती भूमि में अवैध रूप से अफीम की खेती कर रखी है यदि इस समय मौका पर जाकर चैक किया जाए तो उसके खेतों में भारी मात्रा में उगे हुए अफीम के पौधे बरामद हो सकते हैं। सूचना पुखता व यकीनी है और रेडिंग में होने वाली देरी से अफीम के पौधों का खुरद-बुरद होने का पूर्ण अन्देश है। सूचना पुखता व यकीनी होने की सूरत में सूचना निम्न धारा 42(2) ND&PS Act लेखबद्ध करके आ. देवेन्द्र कुमार के पास पुलिस अधीक्षक रा.स.एवम भ्र.रो.ब्यूरो मध्य खण्ड मण्डी को सूचनार्थ भेजी गई। अफीम के पौधों के खुरद-बुरद होने के अन्देश की सूरत में मन निरीक्षक उपरोक्त हमराहीयान मुलाजमान के साथ जेरे रहनुमाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री योगेश रोल्ता के बराये कार्यवाही मौका का खाना हुआ। गांव चमलोग में विरेन्द्र कुमार अपने मकान में हाजिर मिला। जिसे हालात उपरोक्त से सूचित किया और गांव से बार्ड पंच धर्म दास को मौका पर आने के लिये तलब किया गया तथा हल्का पटवारी निखिल कुमार को भी मौका पर राजस्व रिकार्ड सहित आने के लिये सूचित किया। बार्ड पंच धर्म दास मौका पर हाजिर आया और कुछ समय बाद हल्का पटवारी निखिल पटवारी गांव के राजस्व रिकार्ड सहित हाजिर मौका आया जो बार्ड पंच तथा हल्का पटवारी को उपरोक्त हालात से सूचित किया गया तथा हमराहीयान के साथ गांव चमलोग में विरेन्द्र कुमार की मौजूदगी में उसकी मलिकिती भूमि कोबार्ड पंच व हल्का पटवारी तथा हमराहीयान मुलाजमान के साथ चैक किया तो उसके 3 खेतों में अफीम की उगी हुई फसल पाई गई। इन तीनों खेतों की मौका पर हल्का पटवारी निखिल कुमार से राजस्व रिकार्ड के अनुसार शिनाख्त करवाई गई तो ये तीनों खेत गांव चमलोग की सीमा के साथ गांव दयौली के अन्तर्गत पाई गई। यह भूमि खसरा नम्बर 525 का रूखा है जो तादादी 11 वीघा 7 विसवा का एक भाग है और यह भूमि मुसतरीका खाता की है। इस भूमि में रत्न लाल जोकि विरेन्द्र कुमार का पिता है भी हिस्सेदार है। ये खेत गांव की निचली तरफ को है और इन खेतों के आस-पास गेहूँ की फसल है। विरेन्द्र कुमार ने जिन तीन खेतों में अफीम की फसल उगाई है उसमें सबसे ऊपर के खेत नम्बर एक जिसमें चारों ओर जाली लगी हुई है और इस खेत में अफीम के पौधों के साथ बीच में प्याज की फसल भी लगा रखी है। इस खेत में उगे हुए अफीम के पौधों की गिनती की गई तो इस खेत में 153 अफीम के पौधे उगे हुये पाए गए जिन पर अफीम के डोडे भी मौजूद पाए गए और इस खेत के साथ ही उखाड कर रखे हुए अफीम के पौधे भी पाए जो गिनती करने पर 115 पौधे पाए गए। जिन पर डोडे मौजूद न थे। इस खेत में मौजूद उगे हुए 153 पौधों में से अलग-2 जगह से पांच पौधे बतौर नमूना जड़ सहित उखाडे गए और उन्हें एक सफेद बोरू में डाला गया तथा बोरू को बन्द करके मोहर "O" की एक मोहर से सील बन्द किया गया तथा नमूना बोरू अफीम पौधे को मार्का P-1 दिया गया। दूसरा खेत जोकि पहले खेत से नीचे की तरफ है उसमें उगे हुए अफीम के पौधों की गिनती की तो इस खेत में 300 अफीम के पौधे उगे हुए पाए गए जिन पर अफीम के डोडे भी मौजूद पाए गए और इस खेत में अफीम के पौधों के साथ बीच में लहसुन व धनिया की फसल भी लगा रखी है। इस खेत में से मौजूद 300 पौधों में से अलग-2 जगह से 15 पौधे बतौर नमूना जड़ सहित उखाडे गए और उन्हें एक सफेद बोरू जिस पर अम्बिका इंडस्ट्री लिखा हुआ, में डाला गया बोरू को बन्द करके बोरू को मोहर "O" की एक मोहर से सील बन्द किया गया तथा नमूना बोरू अफीम पौधे को मार्का P-2 दिया गया। इसके उपरान्त इस खेत नम्बर 2 से निचली तरफ खेत नम्बर 3 में उगे हुए अफीम के पौधों की गिनती की तो इस खेत में 80 अफीम के पौधे उगे हुए पाए गए जिन पर अफीम के डोडे भी मौजूद पाए गए और इस खेत में अफीम के पौधों के साथ बीच में लहसुन की फसल भी लगा रखी है। इस खेत में मौजूद 80 पौधों में से अलग-2 जगह से 05 पौधे बतौर नमूना जड़ सहित उखाडे और

उन्हे एक सफेद बोरू जिस पर साई एगो फूड लिखा हुआ है, में डाला गया बोरू को बन्द करके मोहर "O" की एक मोहर से सील बन्द किया गया तथा नमूना बोरू अफीम पौधे को मार्का P-3 दिया गया। नमूना मोहर अलग कपड़ा पर लिये गए। फार्म NCB-1 ट्रिपलीकेट पुर किए गए। नमूना मोहर बाद इस्तेमाल गवाह आ. रमनजोत के हवाले की गई। मौका पर बरामदा अफीम पौधों में से नमूना पौधे निकालने के उपरान्त बचे हुए 623 पौधों को नष्ट करने के सम्बन्ध में नष्टीकरण आदेश हासिल करने के लिए पुलिस अधीक्षक रा.स. एवम भ्र.रो.ब्यूरो मध्य खण्ड मण्डी से पत्राचार किया तथा फोन के द्वारा ही इस बारे सूचित किया गया जिन्होंने नमूना अफीम पौधे रखने के उपरान्त 623 अफीम पौधों को नष्ट करने बारा आदेश फरमाए। मौका पर 623 अफीम पौधों को खेतों से उखाड़कर तोड़-मरोड़ कर पूर्ण रूप से नष्ट किया गया तथा नमूना मार्का P-1 से P-3 तक तीनो पुलिन्दाजात को मय नमूना मोहर के बतौर बजह सबूत फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया। मौका की फोटोग्राफी अपने निजी मोबाइल से की गई। खसरा नम्बर 525 उपरोक्त में इसके मालिक विरेन्द्र कुमार द्वारा रक्का तादादी 11 वीघा 7 विस्वा के अपने हिस्सा में अवैध रूप से अफीम की खेती करना जुर्म जेर धारा 18 ND& PS Act की जद में आना पाया जा रहा है जो रक्का तैयार करके बराये कायमी मुकदमा बटस्त आ. रमनजोत के अरसाल थाना है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर थाना करके मिसल मुकदमा मौका भेजी जाए। मन निरीक्षक मशरूफ तपतीश वर मौका हूँ। मुकाम चमलोग व फासला करीब 12 कि.मी.व जानिव उत्तर- पूर्व अज थाना। Sd/नि. लुदर सिंह, अन्वेषक थाना रा.स.एवम भ्र.रो.ब्यूरो बिलासपुर जिला बिलासपुर हि.प्र.दिनांक 19.04.2023 at 07.45 PM कार्यवाही थाना:- आमदा रक्का को शब्द व शब्द लिखा गया जिस पर मुकदमा नं0 03/2023, दिनांक 19.04.2023 u/s 18 of ND & PS Act में CCTNS कम्प्यूटर के माध्यम से दर्ज किया किया गया। प्रथम सूचना की आवश्यक कॉपियां तैयार करके डाक द्वारा व E-mail के माध्यम से उच्च अफसरान को भेजी जा रही है। मिशल मुकदमा तैयार करके रक्का आरिन्दा आ0 रमनजोत के वर मौका मुकाम नजद अन्वेषणाधिकारी नि0 लुदर के भेजी जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Ajit Singh

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No(सं.): N/A

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

Transferred to P.S.(थाना):

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आ.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): yash Pal

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No(सं.): 12345

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)